उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में

कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा

एवं

न्यायमूर्ति श्री रमेश चन्द्र खुल्बे

विशेष अपील संख्या 54/2022

04 अप्रैल, 2022

मध्यः

प्रदीप सिंह ......अपीलार्थी

बनाम्

महानिदेशक, असम राईफल्स यू0पी0ए0ओ0 शाखा (एन0ई0–III),

शिलोंग–I आदि

......प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ताः	विद्वान अधिवक्ता श्री टी0पी0एस0 टाकुली
भारत संघ के लिए अधिवक्ताः	विद्वान सहायक महाधिवक्ता श्री राकेश थपलियाल जिनकी स्थाई अधिवक्ता श्री ललित शर्मा द्वारा सहायता की गई।

विद्वान अधिवक्तागण को सुनने उपरान्त न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया–

आदेशः (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजय कुमार मिश्रा के द्वारा)

पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. इस अन्तरा न्यायालय अपील में रिट याचिका (एस0/एस0) संख्या 366/2022 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.03.2022 को चुनौती दी गई है जिसके माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा अपीलार्थी के अवमुक्ति खारिजी आदेश तथा अन्य परिणामी अनुतोष को दो आधारों पर खारिज कर दिया और यह पाया कि उन्मुक्ति वर्ष 2019 की है जबकि इसको चुनौती इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2020 को दी गई है इसलिए उन्मुक्ति हेतु कोई देरी नहीं हुई है। दूसरा यह कि पूर्व में याचिकाकर्ता के द्वारा रिट याचिका (एस0/एस0) संख्या 46/2022 दायर की गई थी जिसमें उसके द्वारा केवल दिनांक 02.07.2017 के निलम्बन आदेश को ही चुनौती दी गई थी, दिनांक 30.06.2019 के उन्मुक्ति आदेश को चुनौती नहीं दी गई। इस प्रकार से विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा यह पाया गया कि इस पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे यहां आगे ''संहिता'' से सन्दर्भित किया जा रहा है) के आदेश IIनियम 2 के उपखण्ड (2) के लागू होने के कारण

प्रतिषेध है। पहला यह कि पूर्ववर्ति रिट याचिका दिनांक 11.01.2022 को खारिज की गई थी जिसमें निलम्बन आदेश को चुनौती दी गई थी उन्मुक्ति आदेश को नहीं। इस प्रकार से विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा यह पाया गया कि निलम्बन आदेश का अब सेवा से उन्मुक्ति के आदेश के साथ विलय हो गया है। अतः रिट याचिका याचिकाकर्ता को विधि अनुसार अन्य उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज कर दी गई।

3. यद्यपि उक्त आदेश से यह प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा निलम्बन आदेश, जोकि उन्मुक्ति के आदेश के साथ विलय हो गया है, में कोई दखलंदाजी करनी नहीं चाही है किन्तु उनके द्वारा याचिकाकर्ता को उन्मुक्ति आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता विनिर्दिष्ट रूप से दर्शित नहीं की गई है। उक्त आदेश का भाव यह है कि याचिकाकर्ता को उन्मुक्ति आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

4. जब एक बार उन्मुक्ति आदेश को चुनौती देना अव्यक्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है तो एकल न्यायाधीश का यह अवधारित करना उचित नहीं था कि द्वितीय रिट याचिका देरी के कारण बाधित हो और ऐसी देरी को याचिकाकर्ता के द्वारा स्पष्ट भी किया जा रहा हो विशेषतः कोविड–19 महामारी के काल में जबकि भारतीय जनमानस का जनजीवन मार्च 2020 से बुरी तरह प्रभावित हुआ हो। इस न्यायालय का यह मत है कि प्रत्येक तकनीक व कठोर दृष्टिकोंण जो किसी रिट याचिका को केवल देरी के आधार पर निस्तारण के लिए अपनाया गया हो, न्याय की मंशा के अनुरूप नहीं हो। इस प्रकार से हमारा यह कठोर मत है कि उक्त प्रकरण को विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा गुणदोष पर सुनना चाहिए था तथा तद्नुसार उनको यह सुनिश्चित करना था कि अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किया गया उन्मुक्ति आदेश विधितः बनाये जाने योग्य है एवं सम्बन्धित प्राधिकारी के द्वारा पारित उक्त आदेश को अपास्त किये जाने के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन अनुयेज्ञ है।

5. मामले का अन्तिम पहलू यह है कि याचिकाकर्ता के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसके पहले के आवेदन में, उसने उन्मुक्ति आदेश को चुनौती नहीं दी थी और इसलिए, रिट याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IIनियम 2 के उपखण्ड (2) में प्रावधानित सिद्धान्त के कारण बाधित है। उक्त प्रावधान का यहां पर सन्दर्भ लिया जाना उचित होगा जो निम्नतः हैं–

> *"(2) दावे के हिस्से का त्याग– जहां वादी अपने दावे के किसी हिस्से के सम्बन्ध में मुकदमा करने से चूक जाता है, या जानबूझकर छोड़ देता है वह बाद में छोड़े गए या छोड़े गए के कुछ हिस्से के सम्बन्ध में मुकदमा नहीं कर सकता है।"*

6. विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा उपनियम 2 (2) पर भरोसा किया है, जोकि दावे के हिस्से को छोड़ने का प्रावधान करता है। यह प्रावधान करता है कि जहां वादी अपने

दावे के किसी हिस्से के सम्बन्ध में मुकदमा करने से चूक जाता है या जानबूझकर छोड़ देता है, वह बाद में छोड़े गए या छोड़े गए के हिस्से के सम्बन्ध में मुकदमा नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में यह उसी वाद कारण से सम्बन्धित माना जायेगा। यदि वादी अपना मुकदमा दायर करता है, लेकिन कुछ हिस्से का दावा नहीं करता है, तो बाद में, उसे दायर की गई कार्यवाही के कारण से सम्बन्धित दावे के लिए एक और मुकदमा दायर करने से रोक दिया जायेगा, जिसे उसके द्वारा छोड़ दिया गया था। संहिता का आदेश IIनियम 2 इस सिद्धान्त पर आधारित है कि प्रतिवादियों को एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उक्त नियम दो बुराईयों के खिलाफ निर्देशित है, दावों का विभाजन और उपचारों का विभाजन। यह प्रावधान करता है कि यदि एक वादी अपने दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ देता है, जिसे करने का वह हकदार है, या कोई उपाय जिसे वह दावा करने का हकदार है, उसके मुकदमे के वाद कारण के सम्बन्ध में वह उसके बाद दावा किये गये हिस्से या इस प्रकार लोप किये गये उपाय के लिए मुकदमा नहीं करेगा। उक्त नियम किसी ऐसे द्वितीय वाद को बाधित नहीं करता जोकि बिल्कुल भिन्न वाद कारण पर आधारित हो, उक्त नियम के लागू होने के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहली यह कि पूर्ववर्ती दावा तथा वर्तमान दावा दोनों ही एक ही वाद कारण से उत्पन्न हुए हों तथा दूसरा यह कि वे दोनों ही उन्ही पक्षकारगण के मध्य हों।

7. वर्तमान प्रकरण पर भी इसी सिद्धान्त को लागू करते हुए यह पाया जाता है कि पूर्ववर्ती रिट याचिका संख्या 366/2022 निलम्बन आदेश के विरूद्ध थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस समय याचिकाकर्ता के द्वारा उन्मुक्ति के आदेश को चुनौती नही दी गई लेकिन उन्मुक्ति आदेश तथा निलम्बन आदेश दो भिन्न वाद कारण हैं।

8. अतः द्वितीय रिट याचिका, जिससे कि वर्तमान अन्तरा न्यायालय अपील उद्भूत हुई हैं, उसी वाद कारण पर आधारित नहीं हैं जैसा कि पूर्ववर्ती प्रकरण में अवधारित किया गया था।

9. उक्त के अलावा, जैसा कि हमने पहले ही पाया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा अव्यक्त रूप से याचिकाकर्ता को उचित फोरम में जाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी क्योंकि निलम्बन आदेश उन्मुक्ति आदेश में विलयित हो गया है।

10. दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर संहिता की धारा 141 प्रकीर्ण कार्यवाहियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करती है जो निम्नतः हैं—

> *"141 प्रकीर्ण कार्यवाहियां— इस संहिता में वादों के लिए प्रावधानित प्रक्रिया का, जहां तक इसे लागू किया जा सकता हो, दीवानी क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में दायर सभी कार्यवाहियों में, अनुपालन किया जायेगा।*

{स्पष्टीकरण– इस धारा में अभिव्यक्ति ''कार्यवाही'' में आदेश IX के तहत कार्यवाही भी शामिल है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत की काई कार्यवाही शामिल नहीं है।}''

11. जैसा कि स्पष्टीकरण से देखा जा सकता है कि अभिव्यक्ति ''कार्यवाही'' में आदेश IX के तहत कार्यवाही भी शामिल है लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत की कोई कार्यवाही शामिल नहीं है। इस प्रकार, हमारी राय में, संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आदेश का एक बहुत सख्त निर्वचन रिट याचिकाओं पर लागू नहीं किया जाना चाहिए तथा दूसरी रिट याचिका को, जिसमें कि सार है, तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

12. हमारे दृष्टिकोण को मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा ब्रहम सिंह बनाम् भारत संघ (2020) 12 एस0सी0सी0 762 में पारित निर्णय से बल प्राप्त होता है, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था की गई है–

''9– जहां तक भारतीय संघ की ओर से किये गये दूसरे निवेदन का सम्बन्ध है हमने पहले आदेश व रिट याचिका को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है। यद्यपि यह सही है कि रिट याचिका में नियम 6 के तहत सभी लाभ प्रदान करने का सामान्य दावा था जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ भी शामिल होंगें, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया। याचिका की कोई अस्वीकृति नहीं है और इस तरह हमारा सुविचारित मत है कि यह याचिका पोषणीय है तथा अति तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

10– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IIनियम 2 की प्रयोजिता के सम्बन्ध में इस न्यायालय ने देवेन्द्र प्रताप नारायण राय शर्मा बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नानुसार व्यवस्था की है–

''12– .....सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IIनियम 2 की रोक, जिसपर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से भरोसा किया था, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक उच्च विशेषाधिकार रिट के लिए याचिका पर लागू नहीं हो सकता लेकिन उच्च न्यायालय के द्वारा चूंकि दावे की तारीख से पहले अपीलार्थी के वेतन हेतु दावे को खारिज कर दिया गया है, इसलिए हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवेक के प्रयोग में हमें हस्तक्षेप करना उचित होगा। देवेन्द्र प्रताप नारायण राय शर्मा (उपरोक्त) के मामले पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने गुलाब चन्द्र छोटेलाल पारिख बनाम् गुजरात राज्य में आदेश IIनियम 2 के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था की (ए0आई0आर0 पृष्ठ 1159, पैरा 26):

''26–.....अपनी भाषा के अनुसार, ये प्रावधान एक रिट याचिका की सामाग्री पर लागू नहीं होता है और फलस्वरूप पश्चातवर्ती दावे की सामाग्री पर भी लागू नहीं होते हैं।''

13. संहिता का आदेश IIनियम 2 तब लागू होगा जब पहले के अवसर पर मामले का गुणदोष पर निर्णय हुआ हो। यहां तक कि विचार के प्रयोजन के लिए, हम यह मान भी लें कि संहिता का आदेश IIनियम 2 लागू है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश एक प्रतिषेध के रूप में कार्य करेगा, तब भी हम यह नहीं पाते कि मामले के पहले दौर मे, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले का इस तरह निस्तारण किया हो जिससे दूसरी रिट याचिका के दायर होने पर प्रतिषेध पैदा होता हो।

14. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए हमारी राय है कि इस प्रकरण में सार है और उक्त विवाद को गुणदोष के आधार पर तय किया जाना चाहिए न कि संहिता के आदेश II नियम 2 के तहत बाधित मानते हुए देरी या तकनीकी आधार पर।

15. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए अपील सफल होती है और रिट याचिका (एस0/एस0) संख्या 366/2022 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

मामले को पुनर्विचार के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश को वापस भेजा जाता है। मामले को नियमित रूप से गठित खण्डपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाय।

संजय कुमार मिश्रा, ए0सी0जे0

रमेश चन्द्र खुल्बे, जे0

दिनांकित 04 अप्रैल 2022

बी0एस0/एस0एस0